01/06/22

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया दिनांक 06.08.2009 को इस प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक कन्फ्र्म करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उभय पक्षों को वाद के निर्णय तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तो वकील अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात यथा खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी का सम्वत् 2012 से 2031, जमाबन्दी 2062 से 2065, 2065 से 2068 का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि में दिनांक 06.08.2009 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करी गई थी तथा वर्तमान में भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभाव में है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि मौजा बलाऊ पटवार क्षेत्र बलाऊ तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 165/2 रकबा 130.08 बीघा भूमि की मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/06/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर